

17-2-22

वकील सायल उपस्थित नहीं हुआ ना ही सायल
स्वयं उपस्थित। पत्रावली में बार बार आवाज
लगवाई गई। कई बार आवाज लगवाई
गई। कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
अतः पत्रावली अदम दफ्तरी अदम
पैरवी में स्वरिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैलव कुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद लकमीय दारिखत
दफ्तर हो।

~~उपस्थित अधिकारी~~
करली (राज०)

